

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प.3(117)सूप्रौ/लेखा/08/ 5410
जिला कलक्टर समस्त

जयपुर दिनांक : 18-09-12

- विषय :- जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता मद में अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत।
संदर्भ :- विभागिय पत्र क्रमांक प.3(117)सूप्रौ/लेखा/08/2511 दिनांक 14.05.12, 3036 दिनांक 08.06.12, 4060-62 दिनांक 23.07.12 एवं 4791 दिनांक 30.08.12

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थापित इस विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु इस विभाग द्वारा बजट आवंटित किया गया था। जिला मुख्यालयों से यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता मद अतिरिक्त बजट की मांग प्राप्त हो रही है। इस कम संदर्भित पत्रों द्वारा निरन्तर यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता मद में अतिरिक्त मांग के साथ लंबित दावों की पूर्ण सूची निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु निवेदन किया जाता रहा है। लेकिन आपके यहाँ से अतिरिक्त मांग के साथ लंबित दावों की सूची प्राप्त नहीं हो रही है। लंबित दावों की सूची के अभाव में वित्त विभाग अतिरिक्त बजट आवंटन लिए सहमत नहीं हाता है। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि आपके कार्यालय में पदस्थापित इस विभाग के कार्मिकों के बकाया दायित्वों का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप में भिजवाने का श्रम करे ताकि अतिरिक्त बजट आवंटन की कार्यवाही की जा सके।
लेखा शीर्ष

मद	कुल आवंटन वर्ष 2012-13	आवंटन के विरुद्ध आदिनांक तक किया गया व्यय	उपलब्ध बजट राशि	उपलब्ध बजट राशि का उपयोग नहीं किये जाने का कारण	अतिरिक्त बजट की मांग	बकाया दायित्वों का विवरण		
						कार्मिक का नाम	अवधि	राशि
यात्रा भत्ता								
चिकित्सा भत्ता								

यदि आपको पूर्व में आवंटित बजट पर्याप्त हो तथा अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होतो उसकी भी सूचना दिनांक 5.10.12 तक आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करावें। निर्धारित समय तक सूचना प्राप्त नहीं होने पर यह मानते हुए की आपको पूर्व में आवंटित बजट की आवश्यकता नहीं है उसे प्रत्याहारित कर अन्य जिलों को आवंटित कर दिया जावेगा।

(राजकुमार मीणा)
मुख्य लेखाधिकारी